

तयामें

श्रीमान उपरखण्ड अधिकारी महोदय

जिल्ला इलाहाबाद (राज)

विषय - सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री शालचन्द्र पिता/पति श्री निखाना सुभाष
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री शालचन्द्र पिता/पति

निवासी मावलहेडा का/की हु/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का निखाना सुभाष के राजस्व ग्राम मावलहेडा में खाता संख्या 253
किता 4 रकबा 1.91 है भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम शालचन्द्र निखाना
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में शालचन्द्र इत्र निखाना करवाना चाहती हु/चाहता हु।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम शालचन्द्र इत्र निखाना को बजाय शालचन्द्र इत्र निखाना करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक / / 2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का मावलहेडा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शालचन्द्र पिता/पति निखाना सुभाष निवासी मावलहेडा

राजस्व ग्राम मावलहेडा पटवार हल्का मावलहेडा की जमाबन्दी खाता सं 253 में
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में शालचन्द्र इत्र निखाना दर्ज करवाना चाहता हु/चाहते है। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

P. J.
हस्ताक्षर
पटवारी
पटवार हल्का आवरणहेडा
तह. बस्सी (जिल्ला इलाहाबाद)

Shal
हस्ताक्षर

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/

दिनांक - / / 2025.

प्रेषित

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श.ल. पिता/पत्नि विद्या कुमावत निवासी आंवलट्टी पटवार हल्का आंवलट्टी के राजस्व ग्राम आंवलट्टी में जमाबन्दी सन्त 2078-81 की खाता संख्या 253 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि ने सम्मानजनक जाति/नाम शालपन्ड पुत्र विद्या किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम शालपन्ड पुत्र का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। विद्या कुमावत

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बस्सी

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/601

दिनांक-31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का आंवलट्टी

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री शालपन्ड पिता/पत्नि विद्या कुमावत राजस्व ग्राम आंवलट्टी पटवार हल्का आंवलट्टी की खाता संख्या 253 में जाति/नाम श.ल. पुत्र विद्या दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श.ल. पिता/पत्नि विद्या कुमावत की जाति/नाम शालपन्ड पुत्र विद्या एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का आंवलट्टी राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करें।